


**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।**  
**प्रशासनिक आदेश संख्या- 228 / 2020, दिनांक 31.07.2020**


माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्राप्त ई-मेल दिनांकित 31.07.2020 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts Allahabad dated 28-07-2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के पैराग्राफ 22 को निरसित (delete) कर दिया गया है। तदनुसार मेरे द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश सं० 227 / 2020 दिनांकित 31.07.2020 के बिन्दु सं० 19 को निरस्त किया जाता है। तत्कम में ऐसे न्यायिक अधिकारीगण जिनके आवास कन्टेनमेन्ट जोन में हैं उन्हें भी अपने आवास से वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य का संचालन करना होगा।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

  
जनपद न्यायाधीश  
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी सुलतानपुर/अमेठी।
- 2- पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर/अमेठी।
- 3- अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
- 4- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/सिविल।
- 5- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
- 6- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 7- बार एसोसिएशन कादीपुर।
- 8- बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- 10- सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
जनपद न्यायाधीश,  
सुलतानपुर।